पंचायतीराज विभाग का नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर)

उद्देश्य, विजन एवं मिशन

पंचायतीराज प्रणाली को सुदृढ़ व समृद्ध बनाना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक पंचायतीराज प्रणाली को सक्षम नहीं बनाया जाता तब तक देश के असंख्य निर्धन परिवारों तक विकास का वास्तविक लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता है। पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से ही देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है एवं तभी हम अपनी सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार कर सकते हैं। यदि हम अतीत पर अपनी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि पंचायतीराज प्रणाली हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक अंग है।

अनेक इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक काल में भी हमारे देश में पंचायतीराज प्रणाली विद्यमान थी। प्राचीन भारत में पंचायत मूलतः एक लघु प्रशासनिक इकाई थी, जो समस्त ग्रामीण जनों की समस्याओं का निदान ढूँढती थी। पंचों को परमेश्वर के तुल्य समझा जाता था, क्योंकि ये पंच अपना दायित्व पूर्ण निष्पक्ष और निःस्वार्थ भाव से निभाते थे। समय और परिस्थितियों के अनुसार नगर और कस्बों के स्वरूप में परिर्वतन आते गये परन्तु भारत के ग्रामीण अंचलों में पंचायतीराज प्रणाली पहले की भाँति ही कार्य करती रही।

बढ़ते नगरीकरण व औद्योगिकीकरण के बावजूद देश की तीन चौथाई जनता ग्रामों में निवास करती है। इन आँकड़ों के माध्यम से सरकार ने माना कि निर्धनता को दूर करने तथा देश में चहुँमुखी विकास के लिए पंचायतीराज प्रणाली देश की एक आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप दिनांक 24 अप्रैल, 1993 को 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ, जो पंचायतीराज के आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय है। इस संशोधन के अन्तर्गत पंचायतीराज व्यवस्था को एक नया रूप देते हुए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से आम ग्रामीण समुदायों के लिये भागीदारी का मार्ग खुल गया है। 73वें संविधान संशोधन में पृथक से 11वीं अनुसूची जोड़ते हुए 29 विषयों को पंचायतों के अधीन किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने एवं उन्हें स्वयं क्रियावन्वित करने के दायित्व/अधिकार प्राप्त हुए हैं।

73वें संविधान संशोधन में पंचायतीराज व्यवस्था को तीन स्तर की पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के रूप में स्थापित करने, इनमें निर्वाचन के माध्यम से पदाधिकारी/सदस्य चुनने, पंचायतों का कार्यकाल 05 वर्ष किये जाने एवं त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने व उन्हें स्वयं क्रियान्वित करने का प्राविधान किया गया है।

विभाग का मिशन जन–जन तक उद्देश्यपरक् एवं जन उपयोगी सेवाएं तथा योजनाएं पहुँचाना है। राज्य का त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था से सम्बन्धित अपना अधिनियम ''पंचायतीराज अधिनियम, 2016'' माह अप्रैल, 2016 में प्रख्यापित एवं लागू हो चुका है। अधिनियम में ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की त्रैमासिक तौर पर बैठकों के आयोजन की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। ग्राम सभा की खुली बैठकों में पंचायत के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वार्षिक योजना बनाने का प्राविधान है, जिसे वर्तमान में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना नाम दिया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य की ग्राम पंचायतों में सहभागी नियोजन एवं जन सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों से व्यापक एवं समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्रॉफ्ट प्लान तैयार कराया जाता है। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना में समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा की भागीदारी एवं सक्रियता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति, 2017 प्रख्यापित कर दी गयी है, जो आतिथि में सम्पूर्ण राज्य में लागू है। इस नीति में ग्राम पंचायतों की स्वच्छता, साफ–सफाई एवं दैनदिन कूड़ा–करकट के निपटान हेतु व्यवस्था की गयी है। ग्राम पंचायतें उक्त व्यवस्थाएं स्वयं क्रियान्वित करेंगी।

पंचायतों के कार्यों के सफल संचालनार्थ अधिनियम में तीनों पंचायतों के लिए 06 स्थायी समितियों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार ''संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का पंचायतों को ऐसे हस्तान्तरण करेगी जैसा विहित किया जाय''। अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन नये सिरे से संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों को चरणबद्ध तरीके से त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे जाने हेतु उच्च स्तर/शासन से आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा नव निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता रहा है तथा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला/कार्यक्रमों में उन्हें आंमत्रित किया जा रहा है, जिससे राज्य में संचालित विकास कार्यों, योजनाओं, विभिन्न मुद्दों एवं जनप्रतिनिधि के रूप में उनके कर्त्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन की क्षमता में बढ़ोत्तरी हुयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से ही त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों और स्थानों के लिए सामान्य निर्वाचन में 50 प्रतिशत से अन्यून पद आरक्षित किये जाने का प्राविधान है, ताकि महिलाओं को

पंचायतों में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में भी यह प्राविधान कर दिया गया है।

ग्राम सभाओं/पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तथा गाँवों में हो रहे विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अधिनियम में ग्राम पंचायत की शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में महिला सदस्यों को सभापति के रूप में नियुक्त किये जाने का प्राविधान किया गया है।

पंचायतीराज संस्थाओं के दायित्वों एवं कत्तव्यों के निर्वहन में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका एवं समझ बढ़ाने के उद्देश्य से तथा दिये गये कार्यों को स्वयं करने के दृष्टिगत, त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों/स्थानों पर निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार द्वारा बैठकों की अध्यक्षता/कार्यों का निर्वहन करने/दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित महिला प्रतिनिधि तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता/कार्य निवर्हन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह किये जाने का प्राविधान अधिनियम में किया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानीय स्वशासन मजबूत करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 के अनिवार्य प्राविधान यथा, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निरर्हताएं, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लेखों की सम्परीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, निर्वाचक नामावली तैयार करना, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जिला योजना समिति का गठन आदि राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं को त्वरित/ससमय रूप में प्रदान किये जाने के दृष्टिगत जन्म, मृत्यु एवं परिवार रजिस्टर पंजीकरण व प्रमाण पत्र निर्गमन आदि सेवाओं को ऑनलाईन रूप में जन–सामान्य को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायतों में डिजिटल पेमेण्ट को बढ़ावा देने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को कैशलेस सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऑनलाईन ट्रॉजेक्शन के लिए ग्राम पंचायतों के खातों को पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेण्ट सिस्टम) से जोड़ा जा रहा है।

राज्य में पंचायतीराज विभाग की संरचना एवं पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति

पंचायतीराज विभाग का मुख्यालय डाण्डालखौण्ड, नियर आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थित है। विभाग के मुखिया/विभागाध्यक्ष निदेशक, पंचायती राज हैं। जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों के 13 एवं अपर मुख्य अधिकारियों के 13 कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के 12 जनपदों में वर्ष 2014 में एवं जनपद हरिद्वार में वर्ष 2016 में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये गये। निर्वाचित पदाधिकारियों का संख्यात्मक विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत/ प्रधान पद	ग्राम पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य
1	उत्तरकाशी	06	500	3073	204	25
2	टिहरी	09	1038	6192	345	45
3	पौड़ी	15	1212	6825	398	42
4	चमोली	09	614	3663	254	27
5	रूद्रप्रयाग	03	337	2205	118	18
6	देहरादून	06	459	3768	240	43
7	ऊधमसिंहनगर	07	390	4227	280	42
8	नैनीताल	08	511	3805	271	31
9	अल्मोड़ा	11	1166	6738	393	48
10	पिथौरागढ़	08	690	4147	288	33
11	बागेश्वर	03	416	2540	120	20
12	चम्पावत	04	313	2035	134	15
13	हरिद्वार	06	308	3881	221	47
महायोग		**95**	**7954**	**53099**	**3266**	**436**

पंचायतीराज के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण जनों, तीनों स्तरों की पंचायतों की मजबूती के लिए निम्नलिखित सेवाएं, योजनाएं, कार्यक्रम आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा हैः–

1. जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गमन
2. मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गमन
3. परिवार रजिस्टर पंजीकरण एवं प्रतिलिपि निर्गमन
4. भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
5. शौचालय प्रमाण पत्र
6. गाँव की स्वच्छता का रख–रखाव
7. सामान्य प्रार्थना पत्र एवं शिकायतों का निस्तारण
8. केन्द्रीय वित्त आयोग
9. राज्य वित्त आयोग
10. क्षेत्र पंचायत विकास निधि
11. पंचायतीराज संस्थाओं के अभिलेखों (रजिस्टर/फाईल/पुस्तक आदि) का निरीक्षण एवं प्रतियाँ उपलब्ध कराना।
12. डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना)
13. दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना
14. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजना
15. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
16. ई–पंचायत

उपर्युक्त सेवाओं की प्रदायगी एवं विभाग में संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1– जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गमन

क्रं.सं.	सेवा का विवरण	अर्ह अभिलेख	किसे प्रस्तुत करना है
1	जन्म प्रमाण पत्र (जन्म के 21 दिन के अन्तर्गत)	1– जन्म की सूचना का प्रारूप–1 (सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा)।	बिना शुल्क ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जन्म पंजीकरण कर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
2	जन्म प्रमाण पत्र (जन्म के 22–30 दिन के अन्तर्गत)	1– जन्म की सूचना का प्रारूप–1 (सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा)। 2– रू. 02.00 शुल्क।	रू. 02.00 शुल्क के पश्चात् ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जन्म पंजीकरण कर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

3	जन्म प्रमाण पत्र (जन्म के 30 दिन के पश्चात् व 01 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत)	1– तहसीलदार को आवेदन पत्र। 2– तहसीलदार के लिखित निर्देश। 3– रू. 05.00 शुल्क। 4– प्रारूप–1 पर जन्म की सूचना।	तहसीलदार के लिखित निर्देश पर रू. 05.00 शुल्क लेने के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जन्म पंजीकरण कर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
4	जन्म प्रमाण पत्र (जन्म के 01 वर्ष के उपरान्त)	1– शपथ पत्र पर उप जिलाधिकारी को आवेदन पत्र। 2– उप जिलाधिकारी की घटना की शुद्धता हेतु जाँचोपरान्त लिखित आदेश। 3– रू. 10.00 शुल्क। 4– प्रारूप–1 पर जन्म की सूचना।	उप जिलाधिकारी के आदेश पर रू. 10.00 शुल्क लेने के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जन्म पंजीकरण कर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

जन्म से 30 दिन के भीतर, 30 दिन से 01 वर्ष के भीतर एवं 01 वर्ष के उपरान्त आवेदन करने पर क्रमशः 07 से 15 दिन, 15 से 30 दिन एवं 30 से 40 दिन के अन्तर्गत पंजीकरण कराते हुये प्रमाण पत्र आवेदक को निर्गत किये जाने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

2– मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गमन

क्रं.सं.	सेवा का विवरण	अर्ह अभिलेख	किसे प्रस्तुत करना है
1	मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के 21 दिन के अन्तर्गत)	1– मृत्यु की सूचना का प्रारूप–2 (सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा)। 2– असामान्य/दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में मेडिकल रिपोर्ट।	बिना शुल्क ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मृत्यु पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

2	मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के 22–30 दिन के अन्तर्गत)	1– मृत्यु की सूचना का प्रारूप–2 (सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा)। 2– असामान्य/दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में मेडिकल रिपोर्ट। 3– रू. 02.00 शुल्क।	रू. 02.00 शुल्क के पश्चात् ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मृत्यु पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
3	मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के 30 दिन के पश्चात् व 01 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत)	1– तहसीलदार को आवेदन पत्र। 2– असामान्य/दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में मेडिकल रिपोर्ट। 3– तहसीलदार के लिखित निर्देश। 4– रू. 05.00 शुल्क। 5– प्रारूप–2 पर मृत्यु की सूचना।	तहसीलदार के लिखित निर्देश पर रू. 05.00 शुल्क लेने के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मृत्यु पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
4	मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के 01 वर्ष के उपरान्त)	1– शपथ पत्र पर उप जिलाधिकारी को आवेदन पत्र। 2– असामान्य/दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में मेडिकल रिपोर्ट। 3– उप जिलाधिकारी की घटना की शुद्धता हेतु जाँचोपरान्त लिखित आदेश। 4– रू. 10.00 शुल्क। 5– प्रारूप–2 पर मृत्यु की सूचना।	उप जिलाधिकारी के आदेश पर रू. 10.00 शुल्क लेने के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मृत्यु पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

मृत्यु से 30 दिन के भीतर, 30 दिन से 01 वर्ष के भीतर एवं 01 वर्ष के उपरान्त आवेदन करने पर क्रमशः 07 से 15 दिन, 15 से 30 दिन एवं 30 से 40 दिन के अन्तर्गत पंजीकरण कराते हुये प्रमाण पत्र आवेदक को निर्गत किये जाने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3– परिवार रजिस्टर पंजीकरण एवं प्रतिलिपि निर्गमन

क्रं.सं.	सेवा का विवरण	अर्ह अभिलेख	किसे प्रस्तुत करना है
1	परिवार रजिस्टर पंजीकरण (नया परिवार)	1– आवेदन पत्र सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को। 2– रू. 10.00 के स्टॉम्प पेपर पर परिवार के समस्त सदस्यों नाम, व्यवसाय आदि विवरण सम्बन्धी नोटरी शपथ पत्र। 3– ग्राम पंचायत अध्यासन हेतु सम्बन्धित व्यक्ति के गृह/स्थायी परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र (भूमि रजिस्ट्री किसान बही आदि की सत्यापित प्रति) 4– इससे पूर्व जहाँ पर उसके परिवार का नाम दर्ज था, उस ग्राम से परिवार रजिस्टर के पृथक्करण सम्बन्धी परिवार रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि। 5– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की जाँच आख्या तथा आदेश।	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सम्बन्धित परिवार के परिवार पंजिका में दर्ज होने सम्बन्धी अर्हता की जाँच की जाय, तदुपरान्त ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
2	परिवार रजिस्टर में नाम सम्मिलित करना एवं पृथक करना तथा आंशिक संशोधन (प्रपत्र में अंकित प्रविष्टियाँ शुद्ध करना, जिनमें शुद्धता अपेक्षित हो)	1– आवदेन पत्र सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को। 2– जन्म प्रमाण पत्र। 3– मृत्यु प्रमाण पत्र। 4– विवाह प्रमाण पत्र। 5– विवाहोपरान्त पूर्व के ग्राम पंचायत से पृथक्कीकरण का प्रमाण पत्र।	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सम्बन्धित परिवार के परिवार पंजिका में दर्ज होने सम्बन्धी अर्हता की जाँच की जाय, तदुपरान्त ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
3	परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि निर्गमन	1– परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन पत्र।	परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में परिवार रजिस्टर में दर्ज परिवार की सत्यप्रति जारी कर दी जाती है।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी

को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

आवेदन करने के 07 दिनों के अन्तर्गत परिवार रजिस्टर में पंजीकरण एवं प्रतिलिपि निर्गमन के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

4– भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों के सम्बन्ध में भवन निर्माण से पूर्व ग्राम पंचायत की अनापत्ति हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आवेदन किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण करते हुये भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जायेगी। तदुपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

आवेदन करने के 07 दिनों के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

5– शौचालय प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 8, 53 एवं 90 में क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता का प्राविधान किया गया है, जिसमें सम्बन्धित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है, वे पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी के लिए अनर्ह समझे जायेंगे। यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन का ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार परीक्षण करते हुये शौचालय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जायेगी। तदुपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आवेदक को शौचालय प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

आवेदन करने के 05 दिनों के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

6– गाँव की स्वच्छता का रख–रखाव

गाँव की स्वच्छता का रख–रखाव के लिए उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 46 में प्राविधान है कि ग्राम पंचायत में कूड़ा–करकट आदि को प्रत्येक घर से एकत्र करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत कर सकेगी।

ग्राम पंचायत में स्वच्छता के रख–रखाव के लिए प्राप्त आवेदनों पर योजना एवं बजट की उपलब्धता आदि के दृष्टिगत सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

आवेदन करने के 15 दिनों के अन्तर्गत आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य पंचायत की वार्षिक योजना का भाग हों अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत हो तथा बजट/धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता हो।

7– सामान्य प्रार्थना पत्र एवं शिकायतों का निस्तारण

ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के सामान्य प्रार्थना पत्रों एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उक्त आवेदन पत्र पर नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा।

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उक्त सेवा हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पदाभिहित/नामित अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

समय–सीमा

सामान्य प्रार्थना पत्र सम्बन्धी आवेदन करने के 07 दिनों के अन्तर्गत आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है तथा शिकायतों का निस्तारण सम्बन्धी आवेदन करने के 15 दिनों के अन्तर्गत आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

8– केन्द्रीय वित्त आयोग

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की दृष्टि से धनराशि का संक्रमण किया जाता है।

वर्तमान में 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्राम पंचायतों को ही धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि सीधे पंचायतों के खातों में हस्तान्तरण का प्राविधान किया गया है। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निम्न कार्य कराये जा सकते हैंः–

1. आधारभूत नागरिक सेवाओं यथा जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सैप्टेज प्रबन्धन, स्वच्छता, पेयजल योजनाएं, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों फुटपाथों, स्ट्रीटलाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रख–रखाव पर कार्य किये जा सकते हैं।

2. ग्राम पंचायत की आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों जैसे हाट बाजार, गोदाम/भण्डार गृह का निर्माण तथा पंचायत राज अधिनियम में अनुमन्य कार्य किये जा सकते हैं।
3. अभिसरण के रूप में मनरेगा के अन्तर्गत पंचायतें सामुदायिक अवसंरचनाएं, पंचायत घर निर्माण, आजीविका हेतु परिसम्पत्ति सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन, स्थानीय आर्थिक विकास जिसमें रोजगार एवं परिसम्पत्ति सृजन पर भी कार्य कर सकेंगी।
4. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान पर कार्य किये जा सकते हैं।

समय–सीमा

उक्त समस्त योजनाओं/कार्यों हेतु सम्बन्धित स्तर से धनराशि सम्बन्धित पंचायत को हस्तान्तरित होते ही, लघु कार्यों को 03 माह तथा दीर्घ/बड़े कार्यों/योजनाओं को 18 माह के भीतर सम्पादित कराया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंचायत एवं कार्यदायी संस्था का होगा। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य पंचायत की वार्षिक योजना का भाग हों तथा बजट/धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता हो।

9– राज्य वित्त आयोग

73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243–झ एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करते हुए तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को प्रतिवर्ष धनराशि संक्रमित की जा रही है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने एवं पुनरावलोकन के लिए निम्न विषयों पर विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा:–

- पंचायतों के लिए हर 5 वें वर्ष वित्त आयोग का गठन होगा।
- वित्त आयोग राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों को राज्य और नगरीय तथा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बीच वितरण एवं आवंटन करेगा।
- राज्य की संचित निधि से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जाएगा।

- सभी स्तरों की पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार करने के लिये वित्त आयोग आवश्यक उपाय करेगा।
- कोई दूसरे विषय जो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को पंचायतों की ठोस (मजबूत) वित्त व्यवस्था के हित में निर्दिष्ट किये हों, पर संस्तुति करेगा।
- प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त आयोग किसी भी अधिकारी–प्राधिकारी से अभिलेखों को मांग सकता है। साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य कराये जा सकते हैं।

समय–सीमा

उक्त समस्त योजनाओं/कार्यों हेतु सम्बन्धित स्तर से धनराशि सम्बन्धित पंचायत को हस्तान्तरित होते ही, लघु कार्यों को 03 माह तथा दीर्घ/बड़े कार्यों/योजनाओं को 18 माह के भीतर सम्पादित कराया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंचायत एवं कार्यदायी संस्था का होगा। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य पंचायत की वार्षिक योजना का भाग हों तथा बजट/धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता हो।

10– क्षेत्र पंचायत विकास निधि

उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम बार वर्ष 2005–06 में निर्वाचित सदस्य क्षेत्र पंचायतों को क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा नियत धनराशि धनराशि आंवटित की जाती है। यह धनराशि शासन स्तर से निदेशालय को, निदेशालय स्तर से जिलाधिकारियों को तथा जिलाधिकारियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

उक्त धनराशि से सभी सदस्य क्षेत्र पंचायतों को बराबर–बराबर धनराशि उनके निर्वाचित क्षेत्र में विकास कार्य कराने के उद्देश्य से आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

समय–सीमा

उक्त समस्त योजनाओं/कार्यों हेतु सम्बन्धित स्तर से धनराशि सम्बन्धित पंचायत को हस्तान्तरित होते ही, लघु कार्यों को 03 माह तथा दीर्घ/बड़े कार्यों/योजनाओं को 18 माह के भीतर सम्पादित कराया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंचायत एवं कार्यदायी संस्था का होगा। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्यों हेतु बजट/धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता हो।

11– पंचायतीराज संस्थाओं के अभिलेखों (रजिस्टर/फाईल/पुस्तक आदि) का निरीक्षण एवं प्रतियाँ उपलब्ध कराना

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 189 में प्राविधान है कि ''ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य किसी दर्ज ऐसे निर्माण कार्य या संस्था का, जो यथास्थिति पूर्णतः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के व्यय से निर्मित या अनुरक्षित हो तथा प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष, की पूर्व स्वीकृति से यथास्थिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कार्यालय के किसी रजिस्टर, पुस्तक लेखे या अन्य लेख्यों का निरीक्षण कर सकेगा।''

उक्त धारा के अधीन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों के अभिलेख यथा रजिस्टर, फाईल, पुस्तक आदि का निरीक्षण करने एवं प्रतियाँ क्रमशः प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

समय–सीमा

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में नियत शुल्क लेकर आवेदक को 03 दिनों के अन्तर्गत अभिलेखों के निरीक्षण एवं उनकी प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

12– डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना)

पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आलोक में ग्राम पंचायतों को समस्त स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के सदुपयोग हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार किये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना नाम दिया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य की ग्राम पंचायतों में सहभागी नियोजन एवं जन सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों से व्यापक एवं समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्रॉफ्ट प्लान तैयार किया जायेगा। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायतों में बढ़े हुए संसाधन हस्तान्तरण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पंचायतें मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में एक जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य क्षमता विकसित करें।

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना में समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा की भागीदारी एवं सक्रियता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। इस योजना हेतु नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग होगा। जिन ग्राम पंचायतों में सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा मनरेगा के अन्तर्गत आई.पी.पी.ई. की भावी योजना पृथक से बनाई गयी हो, ऐसे प्लान को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतें वार्षिक एवं दीर्घकालिक (पंचवर्षीय भावी योजना) योजना बनाकर विभिन्न गतिविधियों को अपने ड्राफ्ट प्लान रखेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु 1. ग्राम पंचायत के संसाधनों का निर्धारण 2. सहभागी नियोजन के लिए वातावरण निर्माण 3. क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण 4. स्थिति विश्लेषण 5. परिकल्पना एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण 6. परियोजनाकरण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारण 7. प्रशासनिक–वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति 8. अधिप्राप्ति एवं भुगतान की प्रक्रिया 9. समर्थन प्रणाली 10. पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण आदि प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है।

13– दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीनों स्तर की पंचायतों (1 जिला पंचायत, 02 क्षेत्र पंचायत एवं 04 ग्राम पंचायत) का एक निर्धारत प्रक्रिया के आधार पर चयन किया जाता है।

योजना में भाग लेने हेतु इच्छुक पंचायतों को अंक आधारित भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऑन लाईन प्रश्नावली को ग्राम पंचायत स्तर पर भरकर ब्लॉक स्तरीय समिति (BLC) को ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। विकास खण्ड स्तर से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 12 ग्राम पंचायत के नामों की संस्तुति/ऑन लाइन प्रविष्टि ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा फ्रीज करते हुए जनपद स्तरीय समिति (DLC) को ऑन लाईन उपलब्ध कराया जाता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी विकास खण्डों से प्राप्त प्रश्नावलियों का परीक्षण कर उनमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक जनपद से अधिक से अधिक 2 ग्राम पंचायतों के नामों की संस्तुति/ ऑनलाईन प्रविष्टि फ्रीज कर निदेशालय स्तर/राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है।

इसी प्रकार क्षेत्र पंचायतों द्वारा भरी गयी ऑनलाईन प्रश्नावलियों को ऑनलाईन जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जाता है और जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त सभी क्षेत्र पंचायतों की प्रश्नावलियों का परीक्षण करने के उपरान्त प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अधिक

से अधिक 2 क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत के नाम की संस्तुति प्रश्नावलियों सहित ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए निदेशालय स्तर/राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है।

निदेशालय स्तर/राज्य स्तर पर उपरोक्तानुसार उपलब्ध पंचायतों का भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तीन गुणा पंचायतों का राज्य स्तर पर गठित राज्य स्थलीय सत्यापन टीम द्वारा सत्यापन कराया जाता है। सत्यापनोंपरान्त राज्य स्तरीय टीम द्वारा सत्यापन आख्या/रिपोर्ट/मूल्यांकन के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली पंचायत को अपनी संस्तुति सहित भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सत्यापन टीम द्वारा भारत सरकार को प्रेषित पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जाता है। राष्ट्रीय सत्यापन टीम द्वारा किये गये सत्यापन की रिपोर्ट/आख्या/मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत होने वाली पंचायतों का चयन कर उनकी सूची राज्य को प्रेषित की जाती है। दिनांक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भारत सरकार द्वारा चयनित पंचायतों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

14– नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत भी प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रति वर्ष ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक सुधार के कार्य करने वाली एवं अपने से सम्बन्धित अन्य उल्लेखनीय कार्य करने वाली राज्य से केवल एक ग्राम सभा का चयन किया जाता है। इस पुरस्कार हेतु भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रश्नावलियां ऑनलाईन की जाती है, जिसके चयन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार है।

निदेशालय स्तर/राज्य स्तर पर उपरोक्तानुसार उपलब्ध ग्राम पंचायतों का भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तीन गुणा ग्राम पंचायतों का राज्य स्तर पर गठित राज्य स्थलीय सत्यापन टीम द्वारा सत्यापन कराया जाता है। सत्यापनोंपरान्त राज्य स्तरीय टीम द्वारा सत्यापन आख्या/रिपोर्ट/मूल्यांकन के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को अपनी संस्तुति सहित भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सत्यापन टीम द्वारा भारत सरकार को प्रेषित ग्राम पंचायत का स्थलीय सत्यापन कराया जाता है। राष्ट्रीय सत्यापन टीम द्वारा किये गये सत्यापन की रिपोर्ट/आख्या/मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत होने वाली ग्राम पंचायत का चयन कर राज्य को प्रेषित की जाती है। दिनांक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना एवं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजना हेतु चयन के मानक

- सम्बन्धित पंचायत तथा उसकी सभी समितियों की नियमित बैठकें आहूत कर सार्वजनिक हित की मामलों पर चर्चा एवं विचार विमर्श करना तथा बैठकों में योजनाओं एवं लाभार्थियों का चयन करना।
- पंचायतों द्वारा उन्हें अधिकृत किये गये करों की वसूली करना।
- पंचायतो द्वारा अपने स्वयं के श्रोतों से अपने आय बढ़ाना तथा आय उपार्जन करने वाली परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
- सभी प्रकार के प्राप्त अनुदानों का समय पर उपयोग करना तथा स्वैच्छिक श्रमदान/अशंदान की व्यवस्था करना।
- पंचायत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, पथ प्रकाश, जल निकासी, स्वच्छता आदि की व्यवस्था करना।
- जन्म–मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीयन करना, बच्चों का स्कूल तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीयन करना।
- जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण करवाना, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियन्त्रण, लिंग अनुपात सुधारना, घरेलू हिंसा रोकना, शिक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार करना।
- अभिलेखों का उचित रख–रखाव एवं इन्हें कम्प्यूटरीकृत करवाना तथा पंचायतों द्वारा पूर्व मे सृजित परिसम्पत्तियों का उचित रख–रखाव करना।
- शिकायतों का निस्तारण तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचनायें समय पर उपलब्ध कराना।

15– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

भारत के संविधान के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है जिसमें सभी राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीतियों को ग्राम पंचायतों में लागू करें। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतें कुल 52,851.08 किमी0 क्षेत्रफल में फैली हैं, जिनमें लगभग 7036954 ग्रामीण आबादी प्रतिदिन लगभग 703.69 (100 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रति दिवस) टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। यह समस्या उत्तराखण्ड के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर देखी जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से चार धाम यात्रा मार्ग पर बसे गॉवों में ठोस अपशिष्ट भारी मात्रा में

उत्पन्न हो रहा है। इन स्थानों में ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण करने के पुराने तौर तरीके अपनाये जाते हैं, जैसे कि–झाड़ू के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों से अपशिष्ट को ढलानों में गिरा देना।

गर्मियों में अपशिष्ट का विघटन ज्यादा तेजी से होता है जिसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड, कैडावेरिन और प्यूटीसेन्स जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। मानसून के दौरान जिन स्थानों में अपशिष्ट के ढेर होते हैं, वहां घातक बीमारियां उत्पन्न होती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इसके अतिरिक्त यदि अपशिष्ट का निपटान सही स्थानों तथा सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसके कारण आवारा पशु अवशिष्टों के ढेर में विचरण करते हैं, जिसके कारण जैव–विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मैदानी क्षेत्रों में जल जमाव का मुख्य कारण नालियों में फैके जाने वाला अपशिष्ट है जिसके कारण नालियों से जल का निकास अवरूद्व हो जाता है और जल भराव की सम्भावना बढ़ जाती है। यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायतें, जो शहरी क्षेत्रों के आसपास हैं वहां के गांवों की सफाई पर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है, लेकिन फिर भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। अधिकांश ग्राम पंचायतों को अभी तक इस बात का भी अनुमान नही है कि उनके क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट कितनी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है।

शहरी क्षेत्रों के आस पास की ग्राम पंचायतों का शहरीकरण होने तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के अत्यधिक वृद्वि के कारण अपशिष्टों का निपटान अनियंत्रित रूप से शहरी क्षेत्रों से लगी ग्राम पंचायतों के आस पास, सड़क के किनारे व पहाड़ी ढलानों तथा नदी नालों में किया जा रहा है, जो राज्य के पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

उक्त समस्याओं के दृष्टिगत् राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड अपशिष्ट प्रबन्धन नीति, 2017 प्रख्यापित एवं सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दी गयी है। उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एक मार्गनिर्देशिका है, जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित परिणामों की पूर्ति की एक योजना है। यह नीति पंचायती राज संस्थाएं और समुदाय के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है, जो राज्य के पंचायतों और ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जरूरी है। इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। एक प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति द्वारा विभिन्न गतिविधियों की दक्षता में सुधार के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिससे संसाधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर एक व्यावहारिक बदलाव किया जा सकता है। इससे कम अपशिष्ट पैदा करने व उसको अलग–अलग रखने से पुनर्चक्रण को बल मिलेगा। इसके जैविक अपशिष्टों से खाद तैयार की जायेगी व अजैविक अपशिष्ट से नई वस्तुयें बनाकर संसाधनों का संरक्षण किया जायेगा।

ठोस अपशिष्ट

ठोस अपशिष्ट से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो दैनिक उपयोग के उपरान्त जनित होता है। इसमें विद्यमान अवयव जैविक, अजैविक व निष्क्रिय होते हैं। इनकी प्रकृति हर क्षेत्र में भिन्न होती है। जीवन शैली, संसाधन, आय, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक मुदों पर अपशिष्ट उत्पादन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है। ठोस कचरे का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए इन सभी मदो को एक समान स्तर पर लाना होगा। पंचायतों और विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु अधिक से अधिक अपशिष्टों का संग्रहण करना होगा, जिससे आय का साधन सुनिश्चित किया जा सकें, साथ ही पर्यावरण संवर्द्वन किया जा सकेगा।

उदाहरणार्थ

जैविक :– रसोई घर में जनित अपशिष्ट,पेड़ की पत्तियां ,शाखायें आदि।
अजैविकः– कागज, प्लास्टिक, धातु, कॉच आदि।
निष्क्रिय :– घर की झाडन आदि।

नीति के मुख्य उद्देश्य

यह नीति उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों, विविधताओं एवं जटिलताओं के अनुरूप प्रस्तावित है जो सामाजिक सहभागिता के फलस्वरूप पर्यावरण व संसाधनों के दुरूपयोग को संरक्षित कर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करेगी।

(1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक कार्ययोजना ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में जनसहभागिता के आधार पर विकसित की जायेगी।

(2) यह नीति राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति, निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति, जिला स्तर पर निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति/सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित होने वाली स्वच्छता समिति के माध्यम से क्रियान्वियत की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी मूल्यों को बनाये रखने के लिए समुदाय द्वारा जैविक एंव अजैविक कूड़े को अलग–अलग करने एवं कूड़े के प्राथमिक संग्रहण पर उपयोगकर्ता शुल्क (user fee) का प्रावधान किया जाएगा।

(4) अपशिष्टों का मूल्य संर्वधन के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।

(5) ग्राम पंचायतों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट की मात्रा एवं प्रकार का अनुमान लगाते हुए ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

(6) पारिस्थितिकी एंव भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

(7) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत के प्रधानों, निर्वाचित प्रतिनिधियों,जिला पंचायत अधिकारियों/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और ग्राम स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराया जाएगा।

(8) उच्च और निम्न मूल्य आधारित अजैविक, ठोस अपशिष्ट जैसे पेपर, प्लास्टिक, धातु और कांच आदि के उपयोग हेतु एक कार्यनीति विकसित करना ताकि अपशिष्ट से आय प्राप्त की जा सके।

(9) समुदाय में अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति व्यावहारिक बदलाव व जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियों से सम्बन्धित साहित्य जैसे–पत्राचार, पोस्टर, बैनर, मीडियां संचार को विकसित कराया जाएगा।

(10) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(11) अपशिष्ट संग्रहण दल की दक्षता बढ़ाना। सभी प्रकार के अपशिष्ट का एकीकरण करना जिसमें निर्माण एवं विनाश से जनित, बायोमेडिकल और जिला पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों जैसे–लोक निर्माण विभाग, आवास, वन, पर्यटन, विनियामक क्षेत्र, यू.एल.बी. और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता शामिल है।

(12) सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के अनुरूप एक नागरिक घोषणा पत्र तैयार करना जिसमें स्पष्ट रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य एंव दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।

(13) मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने के लिए अपशिष्ट धाराओं के प्रबंधन हेतु एक विनियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।

(14) किसी भी प्रकार के अपशिष्ट, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट को ना जलाने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता बढ़ायी जाएगी।

राज्य में 95 क्षेत्र पंचायत, 13 जिला पंचायत और 7958 ग्राम पंचायत हैं जिनमें से मैदानी क्षेत्रों में 20, एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 75 क्षेत्र पंचायतें, 3 जिला पंचायत मैदानी क्षेत्रों एवं 10 पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। 1068 ग्राम पंचायत मैदानी क्षेत्रों में एवं 6890 ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में घरों, संस्थानों, होटलों, व्यापार केन्द्रों आदि से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन व रख–रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। चारधाम व प्रदेश में स्थित ट्रेक मार्गों पर, जहां वन विभाग की भी भागीदारी हो वहां अपशिष्ट प्रबन्धन जिला पंचायतों द्वारा किया जायेगा। विशिष्ट अपशिष्ट जैसे घोडें की लीद का निस्तारण कम्पोस्टिंग या बायोगैस तकनीक द्वारा किया जायेगा व अजैविक कूड़े को निस्तारण स्थल तक आसानी से ले जाने के लिए कूड़ें का आकार कम करने वाले सघनीकरण उपकरण (compactors) का उपयोग किया जाएगा।

16– ई–पंचायत

विश्व बैंक के अनुसार ''ई–शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी सूचना प्रौद्योगिकियों (जैसे कि विस्तृत नेटवर्क क्षेत्र, इंटरनेट और मोबाइल कम्पयूटिंग) का प्रयोग है, जिससे नागरिको, व्यापार और सरकार के अन्य विभागों के बीच संबध स्थापित हो''। भारत सरकार ने नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता और नागरिकों को सूचना की सुगम अभिगम्यता सुनिश्चित करने हेतु शासन को रूपांतरित करने की भावना से वर्ष 2006 मे राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) लागू की। एनईजीपी की दृष्टि ''जनसाधारण को उसके अपने स्थान पर सामान्य सुपुर्दगी केंन्द्रों के जरिए सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहनीय लागत पर ऐसी सेवाओं की कार्य–कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कराना'' था। ई–पंचायत, मिशन मोड परियोजना (एनएमपी) की ऐसी परियोजना है जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ई–पंचायत परियोजना ग्रामीण जनता की बडी आशा है क्योंकि इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को आधुनिक, पारदर्शिता और कार्य–कुशलता के प्रतीक के रूप में रूपांतरित करना है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी पहल में यह एक पहल है। जिसका प्रयास कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने, कार्यान्वयन और सुपुर्दगी मे लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। परियोजना में आयोजना, मॉनिटरन, कार्यान्वयन, बजटिंग, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा और प्रमाण–पत्र, लाइसेंस आदि जारी करने की नागरिक सेवा सुपुर्दगी सहित पंचायतो के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

पंचायत द्वारा जनादेशित कार्य जो दिनों–दिन बढ़ते जा रहे है, कुशल और प्रभावी रूप से करने के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का गहन प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, ''डिजिटल संयुक्त समाज'' बनाने की अत्यंत आवश्यकता है जहां ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा नई प्रौद्योगिकीयों से लाभान्वित हो सके, सूचना और सेवाओं की जानकारी पा सके और सहभाजित कर सके तथा विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावकारी रूप में भाग लें सकें।

ग्रामीण द्वारा नागरिकों और शासन संरचना के अंतराफलक होने के कारण पंचायतें निम्नतर स्तर पर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति प्रेरित करने का प्रभावी माध्यम है। इसी व्यापक दृष्टिकोण से पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन मोड अवधारणा पर देश की सभी पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थता हेतु एक योजना बनाई है। ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना पंचायतों के 'कामकाज से संबंधित सभी पहलु जैसे विकेन्द्रीयकृत आयोजन, बजटिंग, लेखांकन, कार्यान्वयन और

मॉनिटरन जैसे मुख्य आंतरिक कार्यों से लेकर, प्रमाण–पत्र, लाइसेंस जारी करने जैसे सेवा सुपुर्दगी के पक्षों को संबोधित करना है।

ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग करना हैः

- पंचायतो की आतंरिक कार्य प्रवाह प्रक्रियाओं का स्वचलीकरण
- नागरिको को सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार करना
- पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- पारदर्शिता, जवाबदेही, कुशलता और पंचायतों का आरटीआई अनुपालन
- स्थानीय स्व–सरकार के शासन में सुधार

  पंचायत बहुसंख्यक योजनाओं और सेवाओं की आयोजना और कार्यान्वयक हेतु मूलभूत इकाई होने के नाते यह मिशन मोड परियोजना, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से बेहतर परिणाम सहित जन सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने में सहायक होगी।

ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित अनुप्रयोग

ई–पंचायत के अंतर्गत 11 मुख्य सामान्य अनुप्रयोगों का एक समूह प्रस्तावित है जो पंचायतो की कार्य पद्धति के लगभग संपूर्ण वर्ण–पट को परिभाषित करेगी अर्थात उस आयोजना, मॉनिटरन, कार्यान्वयन, बजटिंग, लेखांकन समाजिक लेखा–परीक्षा आदि जैसे आंतरिक मुख्य कार्यों से लेकर नागरिक सेवा सुपुर्दगी प्रचालन जैसे प्रमाण–पत्र, लाइसेंस जारी करने के मसले आदि। इन ग्यारह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के एक साथ मिलकर पंचायत एंटरप्राईज सूट(पीईएस) बना है। इनमें से चार सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग–नामतः पंचायती राज इंस्टिट्यूट एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, प्लानप्लस, नेशनल पंचायत पोर्टल और लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का राज्य/संघ–शासित प्रदेश तीन वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। छह और अनुप्रयोगों नामतः एरिया प्रोफाईलर, सर्विसप्लस, नेशनल एसेट डायरेक्टरी, एक्शनसोफ्ट, सोशल ऑडिट एंड मीटिंग मैनेजमेंट और ट्रेनिंग मैनेजमेंट की 24 अप्रैल, 2012 को राष्ट्रीय पंयायती राज दिवस के अवसर पर शुरूआत की गई और सुगम अंगीकरण व राज्यों/संघ–शासित प्रदेशों के हस्ताधारण को संपर्क बनाने के लिए इन अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन 11 अनुप्रयोगों की सूची निम्न तालिका में दी गई हैः–

क्र सं..	अनुप्रयोग	विवरण
1	'पंचायती राज संस्थाओं के लिए लेखांकन सिस्टम सॉफ्टवेयर' अथवा 'पंचायती राज इंस्टिट्यूट एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर' (पीआर आई ऐ सॉफ्ट(https://accountingonline.gov.in/	वाउचर प्रविष्टियों के जरिए पावती और व्यय व्यौरों का प्रगहण करता है और रोकड़ बही, रजिस्टर आदि स्वत : तैयार करता है।
2	प्लानप्लस http://planningonline.gov.in/	परिदृश्य, वार्षिक और कार्रवाई योजना बनाने में पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और संगत विभागों की सहायता करता है।
3	'राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल' अथवा 'नेशनल पंचायत पोर्टल (एनपीपी) http://panchayatportals.gov.in/	सार्वजनिक डोमेन में सूचना सहभाजन के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए सक्रिय वेबसाइट
4	'स्थानीय सरकारी निर्देशिका' अथवा लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (एलजीडी) http://lgdirectory.gov.in/	स्थानीय सरकारों के सभी व्यौरों का प्रगहण करता है और अनूठा कोड प्रदान करता है। पंचायतों का विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ चित्रण भी करता है।
5	एक्शन सोफ्ट http://reportingonline.gov.in/	विभिन्न कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और वित्तीय परिणामोंआउटपुट के मानीटरन को सुकर करता है।/
6	'राष्ट्रीय एसेट निर्देशिका' अथवा 'नेशनल एसेट डायरेक्टरी' (एनएडी(http://assetdirectory.gov.in/	अर्जितरे का प्रगहण करता अनुरक्षित परिसंपत्तियों के ब्यौ/ है, दोहरे कार्य से बचने में सहायता करता है।
7	एरिया प्रोफाइलर http://areaprofiler.gov.in./	ग्रामपंचायत के भौगोलिक/, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का प्रग्रहण करता है। र कार्यक्रमों की आयोजना हेतु सार्वभौमिक सभी सैक्ट आंकड़े और निर्वाचित प्र-आधारतिनिधियों आदि का ब्यौरा भी प्रदान करता है।
8	सर्विसप्लस http://serviceonline.gov.in./	सभी राज्यों में सभी सेवाओं की इलैक्ट्रानिक सुपुर्दगी प्रदान करने में सहायक सक्रिय मेटाडाटा सेवा सुपुर्दगी पोर्टलपूर्व के शिकायत निवारण अनुप्रयोग की / कता को भी इस अनुप्रयोग में शामिल किया गया कार्यात्म है।
9	'सामाजिक लेखापरीक्षा और बैठक प्रबधन' अथवा 'सोशल ऑडिट एंड मीटिंग मैनेजमेंट' (एस ए एम एम(http://socialaudit.gov.in./	जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायतरों पर ग्राम पंचायत स्त/ आयोजित सांविधिक बैठकों का प्रगहण करता है और सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु रिपोर्ट तैयार करता है।
10	'प्रशिक्षण प्रबंधन' अथवा 'ट्रेनिंग मैनेजमेंट' http://trainingonline.gov.in/	नागरिकों सहित पणधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, उनकी प्रतिपुष्टि, प्रशिक्षण सामग्री आदि संबोधित करने वाला पोर्टल
11	'भौगोलिक सूचना प्रणाली' अथवा 'जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम' (जीआईएस(	सभी अनुप्रयोगों द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र पर सभी अर्जित आंकड़ों को देखने के लिए एक स्थानिक परत

****